

उत्तर पश्चिम रेलवे

सं 37-एम.सी/कन्सेशन/सरकूलर/2015


मण्डल कार्यालय/बीकानेर
दिनांक 26.06.2015

समस्त स्टेशन अधीक्षक, मास्टर, बीकानेर मण्डल पर ।
समस्त मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक व मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक बीकानेर मण्डल पर ।
समस्त सी.आई.टी.(टी.टी) व सी.आई.टी.(टी.सी.आर) बीकानेर मण्डल पर ।

विषय:-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करना ।
संदर्भ:-रेलवे बोर्ड का वाणिज्य परिपत्र संख्या 18/2015 दिनांक 19.3.2015

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा रेल यात्रा हेतु (ई व आई टिकट सहित) रियायत प्राप्त करने हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र बीकानेर मंडल के नजदीक रहने वाले व्यक्तियों से संलग्न प्रोफोर्मा में समस्त अनुलग्नक सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु आवश्यक निर्देश उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट www.nwr.indianrailway.gov.in के division.bikaner के लिंक पर उपलब्ध है। जिसे डाउन लोड कर उपयोग में लिया जा सकता है। इस कार्ड का उपयोग यात्री द्वारा टिकट तथा आरक्षित टिकट हेतु (आईआरसीटीसी सहित) किया जा सकेगा।
इसका व्यापक प्रसार-प्रचार किया जाये।

संलग्न प्रोफोर्मा


26.6.15
वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक
उ.प.रे/बीकानेर

- प्रतिलिपी :-1.वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2.मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, प्रधान कार्यालय उ०प०रेलवे, जयपुर को सूचनार्थ ।
3.समस्त वाणिज्य निरीक्षक व चल लेखा निरीक्षक सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु बीकानेर मण्डल पर।

सेवा में

वरि मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,
मंडल कार्यालय (उ.प.रे)
बीकानेर पिन कोड 334001

विषय- विषय-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन।

1	आवेदक का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु
2	पिता/ पति का नाम	श्री
3	जन्म तिथि	
4	पता	
		पिन कोड
5	सम्पर्क हेतु दूरभाष सं. मोबाईल नम्बर	
6	अक्षमता का प्रकार	अस्थि विकृत / अघ्रंगसे व्यक्ति/ मुक तथा वधिर मानसिक रूप से विकृत/ पूर्णतः नेत्रहीन व्यक्ति।
7	रियायत प्रमाण पत्र जारी करने वाले अस्पताल / संस्था का	
8	प्रमाण पत्र जारी करने वाले डाक्टर/ संस्था का नाम	
9	डाक्टर का रजिस्ट्रेशन नं.	

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले स्वयं प्रमाणित दस्तावेज की प्रतिलिपी की चेक लिस्ट

1.	रियायत प्रमाण पत्र (उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से जारी)	हाँ / नहीं
2.	फोटो आई.डी.प्रमाण	हाँ / नहीं
3.	जन्म तिथि प्रमाण	हाँ / नहीं
4.	पते का प्रमाण	हाँ / नहीं
5.	दो फोटो/ स्टैम्प साईज	हाँ / नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक
स्थान

नोट-(1) आवेदन पत्र भेजने का पता वरि मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,
मंडल कार्यालय बीकानेर
(उ.प.रे)बीकानेर

- (2) आवेदन पत्र व्यक्तिगत या डाक द्वारा भेजा जा सकता है। लिफाफे पर-य-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु लिखा होना चाहिए।
- (3) कार्ड जारी करने से पूर्व मूल रियायत प्रमाण पत्र पर कार्यालय द्वारा आवश्यक दृष्टांत व सील लगायी जायेगी अतः मूल रियायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय बिना लेमिनेशन का होने पर ही कार्ड जारी किया जायेगा।

